

# Form No. III

## फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी

मुकाम : रावतभाटा

बनाम राज. राज्य जारिय तीमार जिदायत मदी

नं० 14/20219 सन्

किस्म मुकदमा 115

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जारी हुए
04/12/2024	<p>पत्रावली पेश हुई P.O. साहब राजकार्य मे प्रस्तुत होने से अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 24/12/24 को पेश की जावे।</p> <p><i>[Signature]</i></p>	
24/12/2024	<p>पत्रावली पेश हुई अधिष्ठापक संघ द्वारा वार्षिक कार्य स्थगित करने से अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 08/01/25 को पेश की जावे।</p> <p><i>[Signature]</i></p>	
08/01/2025	<p>पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारान् उपस्थित। वकील वादी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अवसर चाहा पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु पूर्व मे 05 अवसर दिये जा चुके है किन्तु साक्ष्य प्रस्तुत नही होने से वादी के साक्ष्य/वयान खंड किये जाते है। पत्रावली वास्तव में अन्तिम दिनांक 23/01/25 को पेश हो।</p> <p><i>[Signature]</i></p>	
23/01/2025	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी व वकील वादी न्यायालय मे अनुपस्थित। वादी तथा वकील वादी को न्यायालय द्वारा न्यायालय समय मे तीन बार अलग-अलग समय पर आवाज लगाई गई बावजूद वादी तथा वकील वादी न्यायालय मे अनुपस्थित। इतने न्यायालय मे प्रकरण मे वादी की ओर से पेशी हेतु उपस्थित नही होने से बाद पत्र इस्वी स्तर पर उदम हाजिरी अदम पेशी मे खारिज किया जाता है। पत्रावली</p> <p><i>[Signature]</i></p>	

57.0

# Form No. III

App-Z  
crim-I

## फर्द अहकाम

(नियम 26)

दालत : उपखण्ड अधिकारी

मुकाम : रावतभाटा

लाली वई

बनाम राज रावत जसि श्रीमान जिलाधीवा मही

मुकदमा..... बाप ..... नं० ..... 14 ..... सन् 2019

रीख मुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इसमें जारी हुए
	<p>किसल सुमार दो दर्ज रिविस्टर से कम की जाकर शामिल दर्जर हे।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)</p>	